जनोपयोगी सेवाओं हेतु स्थाई लोक अदालत

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

स्थाई लोक अदालत क्या है ?

जनोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत स्थायी लोक अदालत है, जिसका आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के तहत किया जाता है।

स्थाई लोक अदालत कहाँ कार्यरत है ?

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थाई लोक अदालतें कार्यरत हैं।

स्थाई लोक अदालत में कौन-कौन होते हैं ?

स्थाई लोक अदालत में सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अध्यक्ष व दो अन्य विद्वान सदस्य होते हैं

स्थाई लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र क्या है ?

उस जिले में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का निस्तारण।

जनोपयोगी सेवाएं कौन-कौन सी हैं?

1. वायु, सडक या जल द्वारा यात्रियों एवं माल को ले जाने के लिए परिवहन सेवा
2. डाक, तार या दूरभाष सेवा
3. किसी स्थापन द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति
4. लोक सफाई या स्वच्छता की व्यवस्था
5. चिकित्सालय या औषधालय की सेवा
6. बीमा सेवा
7. बैंककारी और वित्तीय संस्था सेवा
8. आवासीय सेवा
9. लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस सेवा

स्थायी लोक अदालत के समक्ष आवेदन कौन दायर कर सकता है?

कोई भी पीडित पक्षकार।

शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान जैसी सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित मामलों के समाधान और निपटान के लिए यहां, भले ही पक्ष एक निपटान तक पहुंचने में विफल हो, स्थायी लोक अदालत को विवाद का फैसला करने के लिए अधिकार क्षेत्र मिलता है, बशर्ते, विवाद किसी भी अपराध से संबंधित नहीं है। स्थायी लोक अदालत का पुरस्कार अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी है। स्थाई लोक अदालत का आर्थिक क्षेत्राधिकार कितना है ?

- स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार एक करोड़ रुपये तक है। यदि पक्षकार किसी समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो स्थायी लोक अदालत का गुणावगुण के आधार पर मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है।
- स्थायी लोक अदालत के क्या फायदे हैं ?
- पक्षकारों की सहमति से समझौतां
- कोर्ट शुल्क का भुगतान नहीं।
- पक्षकारों की सहमति से समझौता।
- कोर्ट शुल्क का भुगतान नहीं।
- वकील की आवश्यकता नहीं
- कोई अपील नहीं।

हेल्प लाईन नं.
15100
9928900900

जनहित में जारी:
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com

website
www.rlsa.gov.in

Premier# 9783855551